मैनुअल – 12

अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

Manual - 12

The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes

मैनुअल संख्या– 12

सरकार द्वारा जनहित में दी गई छूट तथा तत्सम्बन्धी शासनादेश –

1. शासनादेश सं. 3167/ उन्तीस/05– (59पे0)/ 2004 दिनांक 19.10. 2005 से धर्मशालाओं एवं आश्रमों में जलमूल्य की अघरेलू दरों के स्थान पर घरेलू दरें लागू की गई।
2. शासनादेश सं. 172/ उन्तीस(1)/2009– (59पे0)/04 दिनांक 13.02. 2009 से बकाया जलकर एवं सीवरकर को बकाया धनराशि सहित माफ/समाप्त किया गया।
3. अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013 से अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति, निराश्रित, सैनिक विधवायें, भूमिहीन श्रमिक तथा संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी समस्त जमानतों, अग्रिम धन तथा विभागीय शुल्कों से मुक्त रहेंगें।
4. अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013 से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को संस्थागत संयोजन के स्थान पर घरेलू की श्रेणी में रखा गया है।
5. शासनादेश सं. 503/ उन्तीस(1)/2014/(59पे0)/2014 दिनांक 27.05. 2014 से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल उपभोक्ताओं के पेयजल बिलों को माफ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
6. अधिसूचना दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 से टैरिफ के प्रस्तर–01 के क्रमांक 01, 02 एवं 03, प्रस्तर–03 के क्रमांक 01 एवं 02 तथा प्रस्तर–07(अ) के क्रमांक 01, 02 एवं 03 श्रेणी के पेयजल एवं सीवर उपभोक्ताओं हेतु जलमूल्य एवं सीवर शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि को घटाकर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
7. अधिसूचना दिनांक 06 जुलाई, 2016 से टैरिफ के प्रस्तर–01 के क्रमांक 04 से 09, प्रस्तर–03 के क्रमांक 03 एवं 04 में अंकित श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं हेतु जलमूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि को घटाकर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा प्रस्तर–12 में उल्लिखित सार्वजनिक जल स्तम्भ शुल्क (पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट चार्जेज) के उपभोक्ताओं हेतु 15 प्रतिशत की वृद्धि के स्थान पर 09 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
8. शासनादेश सं. 1622/ उन्तीस(1)/2017/(59 पे0)/2004 दिनांक 28. 12.2017 से प्रदेश के अन्तर्गत जलमूल्य एवं सीवर शुल्क के अवशेष देयों

(Arrear) के एकमुश्त भुगतान पर विलम्ब शुल्क (Late fee) की देयता में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

9. शासनादेश सं. 264/ उन्तीस(1)/2019/(04 अधि0)/2011 दिनांक 07.03.2019 से टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों के पूर्व लम्बित जलमूल्य एवं सीवर शुल्क देयकों को माफ/ समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
10. अधिसूचना दिनांक 04 अगस्त, 2019 से राज्य के सुलभ शौचालयों से 'अघरेलू' के स्थान पर 'घरेलू' (रू0 360 तक के वार्षिक मूल्यांकन वाले भवनों हेतु निर्धारित लोहैड श्रेणी की दरों) पर जलमूल्य लिये जाने का निर्णय लिया गया।
11. कार्यालय ज्ञाप सं. मेमो / XXIX(01)/2020 दिनांक 31.03.2020 से कोविड–19 संकट को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के अन्तर्गत पेयजल एवं सीवर सुविधा के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं (घरेलू/ व्यावसायिक) के विरूद्ध जलमूल्य/ सीवर शुल्क के पूर्व लम्बित एवं वर्तमान में सृजित होने वाले देयों की वसूली दिनांक 31.05.2020 तक स्थगित तथा दिनांक 31.05.2020 तक संयोजनों को विच्छेदित न किये जाने एवं स्थगन अवधि (दिनांक 31.05.2020 तक) के लिये कोई विलम्ब शुल्क/ सरचार्ज नहीं लिये जाने का किये जाने का निर्णय लिया गया।
12. शासनादेश सं. 389/ उन्तीस(1)/2020/(59–पे0)/ 2004 दिनांक 18.06.2020 से कोविड–19 संकट को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के पर्यटन व्यवसायियों को 2020–21 में वार्षिक जलमूल्य वृद्धि में छूट प्रदान की गई।
13. शासनादेश सं. 714/ उन्तीस(1)/2020–(59–पे0) 2004 दिनांक 22.07.2020 से जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था को सरलीकृत करते हुए रू0 26.00 में संयोजन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
14. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश सं. 1436/ उन्तीस(1)/2021–(घोषणा–1) 2021 दिनांक 26.11.2021 से प्रदेश के अन्तर्गत जलमूल्य एवं सीवर शुल्क के अवशेष देयों (Arrear) के एकमुश्त भुगतान पर विलम्ब शुल्क (Late fee) की देयता में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
15. शासनादेश सं. DWS-1-A/11/4/2022-XXIX-1 Drinking Water Department- 25905/2022 दिनांक 29.03.2022 से द्वारा राज्य के घरेलू मीटर युक्त जल संयोजनों हेतु निर्धारित जलमूल्य का न्यूनतम प्रभार 10 किलोलीटर के स्थान पर 20 किलोलीटर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

16. शासनादेश सं. DWS-1A/10/84/2022-XXIX-1 Drinking Water Department (Computer No 20940)/21011/2022 दिनांक 25.04.2022 से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत निर्धन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक परिवारों हेतु रू0 100 में जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था की गई।
17. शासनादेश सं. 344 / 47820 / 2023 दिनांक 12.05.2023 से जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों के छः माह (माह नवम्बर, 2022 से माह अप्रैल, 2023 तक) के देयकों को माफ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।